


10/01/23

वकुलाय फारीकोन उपस्थित।  
पञ्जाबी का ठिकेकन किया गया।  
पञ्जाबी में दिनांक 21/02/13 को  
अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई है।  
बहस हुई गई। पञ्जाबी के ठिकेकन  
से उच्च दृष्टि नाममाता उद्योग के  
पक्ष में होने से दुविधा का निवृत्त  
भी उद्योग के पक्ष में है। यह  
ठिकेकन निरस्त किया जाता है तो  
उद्योग को अकृषि करि होगी।

अतः उद्योग द्वारा उच्च ठिकेकन  
पक्ष स्वीकार किया जाकर अस्थाई  
निषेधाज्ञा वाद के निर्णय तक  
उद्योग के पक्ष में तथा उद्योग  
के विरुद्ध इन आशय की जारी  
की जाती है कि वो मोबा नुस्ती  
के क्रम 498/07 क्रमा 123.13 बीजा  
में उद्योग, उद्योग के हिस्से तक  
रेक्ट की प्रमाप्ति बनाए रखे। निर्णय  
यह बजलास हुआ गया। पञ्जाबी  
मिसल एतद लेकर दायित्व निवृत्त हो

  
साहायक कानून  
(फास्ट ट्रेक) वायपैर